AFR

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आदेश के लिए आरक्षित : 25.11.2019

आदेश पारित : 28/01/2020

2018 डब्ल्यू.पी.(227) सं. 711

1. इन्द्रेश पटेल, पिता स्व. श्री छबीलाल पटेल, आयु लगभग 18 वर्ष, निवासी ग्राम खोखरा, पोस्ट– तरकेला, तहसील– पुसोर, जिला– रायगढ़, छत्तीसगढ़

2. अवयस्क सुयश पटेल, पिता स्व. श्री छबीलाल पटेल, उम्र लगभग 11 वर्ष, द्वारा प्राकृतिक सरंक्षक माता श्रीमती सरिता पटेल, पति स्व. श्री छबीलाल पटेल, निवासी ग्राम– खोखरा, पोस्ट– तरकेला, तहसील– पुसोर, जिला– रायगढ़, छत्तीसगढ़ **.....याचिकाकर्ता**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

//बनाम//

1. नारद चौधरी, पिता स्व. श्री थान सिंह चौधरी, उम्र लगभग 37 वर्ष, व्यवसाय कृषि और दुकानदार, निवासी ग्राम कोड़ातराई, तहसील– पुसोर, जिला– रायगढ़, छत्तीसगढ़

2. श्रीमती सरिता पटेल, पति स्व. श्री छबीलाल पटेल, उम्र लगभग 36 वर्ष, व्यवसाय–नौकरी, निवासी ग्राम खोखरा, पोस्ट– तरकेला, तहसील– पुसोर, जिला– रायगढ़, छत्तीसगढ़

3. छ.ग. राज्य द्वारा कलेक्टर, जिला– रायगढ़, छत्तीसगढ़

..... **उत्तरवादीगण**

याचिकाकर्ता की ओर से	: श्री रुप नाइक, अधिवक्ता
उत्तरवादीगण क्र.–1 एवं 2 की ओर से	: श्री आर.एस. पटेल एवं श्री पलाश अग्रवाल, अधिवक्ता ।
राज्य की ओर से	: पी.एल. श्री अरीजित तिवारी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र चंद्र सिंह सामंत

सी ए वी आदेश

28/01/2020

1. इस याचिका में 08.07.2016 के व्यवहार वाद क्रमांक 38–अ/2016 में पारित राष्ट्रीय लोक अदालत के अधिनिर्णय को चुनौती दी गई है ।

2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता अवयस्क थे, जिन्हें वाद क्रमांक 38–अ/2016 में प्रतिवादीगण के रुप में जोड़ा गया था और संरक्षक सरिता पटेल द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था, जो इस याचिका में उत्तरवादी क्रमांक–2 है । लोक अदालत का अधिनिर्णय

उत्तरवादी क्र.–1 के रुप में वादी और उत्तरवादी क्र.–2 की ओर से प्रतिवादी के रुप में और साथ ही याचिकाकर्ताओं की ओर से जो अवयस्क प्रतिवादी थे, के बीच समझौते के आधार पर पारित किया गया था । यह प्रस्तुत किया गया है कि उत्तरवादी क्र.–2 ने अवयस्कों के हित और कल्याण की अनदेखी की है, जो संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 27 के तहत प्रदान की गई है । राष्ट्रीय लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी ने भी विवादित अधिनिर्णय पारित करके याचिकाकर्ताओं के हितों की अनदेखी की है, इसलिए पारित किया गया अधिनिर्णय अवैध और मनमाना है **मोहरी बीबी और अन्य विरुद्ध धरमदास घोष,** (1903) **आईएलआर** 30 Cal. 539, के मामले में प्रीवी काउंसिल के निर्णय पर विश्वास करते हुए यह प्रस्तुत किया गया है कि अवयस्क संविदा करने में असमर्थ है, इसलिए उसे भुगतान की गयी कोई भी राशि वसूली योग्य नहीं है और उसकी ओर से किया गया कोई भी समझौता प्रवर्तनीय नहीं है । अतः लोक अदालत का अधिनिर्णय अपास्त किये जाने योग्य है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. उत्तरवादियों की ओर से, यह प्रस्तुत किया गया है कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 21 के तहत, लोक अदालत द्वारा पारित अधिनिर्णय को किसी भी अपीलीय न्यायालय के साथ–साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत चुनौती

नहीं दी जा सकती है । 2018 की याचिका (227), 914 दिनांक 22.02.2019 में इस न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय पर विश्वास किया गया । यह प्रस्तुत किया गया है कि लोक अदालत के किसी अधिनिर्णय को अपास्त करना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रयोजन और आशय को विफल करने के बराबर होगा, इसलिए इस याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है ।

4. मेरे द्वारा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. इस मामले में मुख्य रुप से यह प्रश्न उठता है कि क्या याचिकाकर्ताओं का दीवानी वाद में विधिक रुप से प्रतिनिधित्व किया गया था और उनके हित विधिक रुप से विधि के अनुसार वाद में उल्लेखित संरक्षक द्वारा संरक्षित थे ।

6. जब किसी अवयस्क प्रतिवादी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जाता है, तो उस मामले में, ऐसा वाद केवल व्यवहार प्रक्रिया संहिता की विधि के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए । आदेश 32 नियम 3, जो यह उपबंध करता है :–

> **"3. अवयस्क प्रतिवादी के लिए न्यायालय द्वारा वादार्थ संरक्षक की नियुक्ति–**(1) जहाँ प्रतिवादी

अवयस्क है वहाँ न्यायालय उसकी अवयस्कता के तथ्य के बारे में अपना समाधान हो जाने पर उचित व्यक्ति को ऐसे अवयस्क के लिए वादार्थ संरक्षक नियुक्त करेगा ।"

7. इसलिए, यह एक आवश्यकता है कि जब प्रतिवादी अवयस्क हो, तो उसके संरक्षक को न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए और आदेश 32 नियम 3 के तहत अनिवार्य उपबंध है, जिसका कठोरता से पालन किया जाना है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. व्यवहार वाद संख्या 38–अ/2016 के अभिलेख के अवलोकन पर यह पाया गया कि प्रकरण 26.07.2016 को प्रस्तुत किया गया था और फिर प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए गए थे । याचिकाकर्ता जिन्हें प्रतिवादी क्रमांक–2 और 3 के रुप में प्रस्तुत किया गया है, उन्हें संरक्षक श्रीमती सरिता पटेल द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है । प्रतिवादी अपने संरक्षक के माध्यम से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और फिर लिखित बयान प्रस्तुत किए गए और जिसके बाद प्रकरण के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ताओं के संरक्षक ने उनकी ओर से एक समझौता किया और फिर समझौता डिक्री को लोक अदालत द्वारा पारित किया गया ।

9. व्यवहार वाद में विचारण न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही में जब तक कि यह समझौता नहीं हुआ था, विचारण न्यायालय की सम्पूर्ण कार्यवाही में कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि अवयस्क प्रतिवादी/याचिकाकर्ताओं की ओर से संरक्षक की नियुक्ति की अनुमति के लिए कोई आवेदन याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ताओं की ओर से उत्तरवादी क्रमांक–2 द्वारा किया गया प्रतिनिधित्व न्यायालय के किसी भी प्राधिकार के बिना था, जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 32 नियम 3 के तहत आज्ञापक था । ऐसे प्राधिकार के बिना, उत्तरवादी क्रमांक–2 को याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था । इसलिए, यह व्यवहार वाद की कार्यवाही में एक गंभीर प्रक्रिया दोष प्रतीत होता है और यह अभिनिर्धारित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि याचिकाकर्ताओं का विधिवत रुप से प्रतिनिधित्व किया गया था और उत्तरवादी क्रमांक–2 को याचिकाकर्ताओं की ओर से समझौते के लिए सहमति देने का विधिवत अधिकार था । इसलिए वादी द्वारा संरक्षक के रुप में नामित व्यक्ति के माध्यम से अवयस्क प्रतिवादियों/ याचिकाकर्ताओं की ओर से सहमति के आधार पर तैयार किया गया समझौता डिक्री, जो उत्तरवादी क्रमांक–2 है और व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 32 नियम 3 के तहत न्यायालय द्वारा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विधिक रुप से नियुक्त नहीं है । इसलिए, उक्त समझौते के आधार पर लोक अदालत का विवादित अधिनिर्णय और डिक्री अवैधानिक है, इसलिए अस्थिर है ।

10. इसलिए याचिका स्वीकार की जाती है । 08.07.2016 को व्यवहार वाद क्रमांक 38–अ/2016 में पारित राष्ट्रीय लोक अदालत का विवादित अधिनिर्णय अपास्त किया जाता है । हालांकि, व्यवहार वाद क्रमांक 38–अ/2016 को लोक अदालत में हुए समझौते की तारीख से पहले के चरण में पुर्नस्थापित किया जाता है, जिस पर विधि अनुसार प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन करने के बाद उत्तरवादी क्रमांक–1 द्वारा प्रकरण चलाया जा सकता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(राजेन्द्र चंद्र सिंह सामंत)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**